फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

~~सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ~~ बनाम ~~गोपाललाल व अन्य~~

करम मुकदमा .... नं0 63/19 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.06.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/**NLRMP**/ एफ.126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो।	
18.06.2019	पत्रावली पेश हुई। कोर्ट केम्प मे सभी पक्षकार उपस्थित नही होने से पत्रावली दिनांक 27.06.19 को पेश हो।	अ.नि. प्यारा/रूपा
27.06.2019	पत्रावली पेश हुई। भूमिधारी तहसीलदार व अन्य पक्षकार उपस्थित। उपस्थित पक्षकारो ने मौजा आमलदा आ.न. 140 रकबा 0-24 हेक्टेयर मे सहखातेदारो के हिस्से दर्ज नहीं होने से आपसी सहमति से हिस्से बताए जो निम्न है:- श्री झमकू बेवा किशना का हि० 1/12 मनोहर का हि. 1/60 रामचंद्र का हिस्सा 1/60 फोरी पि० बेणा का हिस्सा 1/60 धापू पत्नि स्व० बेणा का हिस्सा 1/60 गोपाललाल चन्दा ममता शारदा पिता श्यामलाल शारदा ना.बा.स.प. भाई गोपाललाल का हिस्सा हि० ब० 1/60 प्यारा पि० रूपा का हिस्सा 1/12 जाति बलाई सा.देह खा. का.आ. फि० कौ० बदस्तूर। सहखातेदारो द्वारा बताये गए हिस्से मजमे आम मे रखा जिनके सही होने की पुष्टि की गई। मौके पर सहमतीपत्र बनाया जाकर	अ.नि. प्यारा/रूपा गोपाल अ.नि. फोरी

Scanned by CamScanner

सभी पक्षकारो के हस्ताक्षर कराये गए।

अतः सहखातेदारो की सहमती, तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर के आदेश (पूर्व वर्णित) के निर्देशानुसार उपरोक्तवर्णितानुसार हिस्से की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

27/6/19

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

वाद संख्या : 63/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़
वादी

बनाम

1. गोपाल लाल पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
2. श्रीमति झमकु पत्नि स्व. किशना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. मनोहर पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
4. रामचन्द्र पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
5. धापू पत्नि स्व. वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
6. फोरी पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
7. चन्दा पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
8. ममता पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
9. शारदा ना.बा. पिता श्यामलाल स.प. भाई गोपाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
10. प्यारा पिता रूपा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
11. काना पिता घीसा जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
12. हेमा पिता गंगाराम जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
13. बदरीलाल पिता रता जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
14. मदनलाल पिता रता जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
15. धापूबाई पिता रता जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
16. कमलाबाई पिता रता जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
17. चन्दा बाई पिता रता जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 17 निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. **DILRMP** के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/एलआर/एन.एल.आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया,दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

...लगातार

Scanned by CamScanner

, वाद पत्र में तहसीलदार बेगूं द्वारा उनके पत्रांक 857 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम आमल्दा में खाता संख्या 62 सम्वत 2071–74 मे अंकित आराजी संख्या 140 रकबा 0.24 में श्री झमकू बेवा वेणा वगैराह जमाबंदी संलग्न अनुसार होकर उक्त खाते में खातेदारों के हिस्से दर्ज नहीं है।, वादी भूमिधारी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। कोर्ट कैम्प में प्रतिवादीगण दिनांक 18.06.2019 को सभी पक्षकारान के उपस्थित न आने पर पत्रावली को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, प्रतिवादीगण में उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि मौजा आमल्दा में वाद वर्णित आराजी उनकी पैतृक भूमि है तथा वक्त भू प्रबन्ध खाता संख्या 26 उदा नाराण पिता उंकार प्यारा पिता रूपा किशना पिता उदा हि.ब. 1/4 शेष अन्य खातेदार के नाम दर्ज थी। पूर्व में श्रीमान के न्यायालय में प्रकरण संख्या 78/11 एक वाद 88–53 का निर्णित हुआ है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उदा के वारिस वेणा एवं वेणा के वारिसान के नाम 1/3 प्यारा पिता रूपा के 1/3 व किशना पिता उदा के बजाय श्यामलाल पिता वेणा 1/3 हिस्से की घोषणा की जाकर विभाजन किया गया। प्रकरण सं. 78/11 मे रामचंद्र मनोहर व धापूबाई मृतक के बजाय श्यामलाल गीता फोरी पिता वेणा 1/3 की घोषणा न्यायालय द्वारा की गई है। परन्तु सहवन से आराजी नं. 140 घोषणा से रह गया है। अतः प्रकरण संख्या 78/11 में हुए निर्णय मुताबिक वाद वर्णित आराजी नं. 140 रकबा 0.24 हैक्टर में 1/4 का 1/3 अनुसार 1/12–1/12–1/12 हिस्से अनुसार झमकू बेवा किशना 1/12, मनोहर रामचंद्र पिता वेणा फोरी दुख्तर वेणा धापू पत्नि स्व. वेणा, गोपाललाल चन्दा ममता शारदा पिता श्यामलाल, शारदा ना.बा. स.प. भाई गोपाल लाल 1/12 प्यारा पिता रूपा 1/12 बलाई अनुसार हिस्से की घोषणा फरमावें। प्रतिवादी संख्या 10 उपस्थित हुए एवं बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 के बताये अनुसार हिस्से दर्ज करने पर वह सहमत है।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया, न्यायालय से पत्रावली संख्या 78/11 तलब की जाकर अवलोकन किया गया। वाद 88–53–188 आर.टी.एक्ट का होकर दिनांक 28.11.2014 को मूल वाद में प्राथमिक डिक्री किया गया जिसके अनुसार झमकू बेवा किशना के बजाय वसीयत से श्यामलाल पिता वेणा 1/3 वेणा के वारिसान 1/3, प्यारा पिता रूपा का हिस्सा 1/3 घोषित किया गया एवं इसी अनुरूप विभाजन होने पर दिनांक 16.02.2015 को अंतिम डिक्री पारित की गई है। रेकार्ड के अवलोकन से वाद वर्णित आराजी के खातेदार उदा नाराण पिता उंकार प्यारा पिता रूपा किशना पिता उदा बलाई हि.ब. 1/4 एवं प्रकरण संख्या 78/11 के खातेदार समान है तथा समान रूप से दर्ज है। उक्त आराजी को सहवन से वाद में शामिल नहीं होने से तत्सयम हिस्से की घोषणा नहीं की जा सकी है। मजमें आम में जानकारी की गई जिसमें जाहिर आया कि झमकू बेवा किशना 1/12 वेणा के वारिसान 1/12, प्यारा पिता रूपा 1/12 अनुसार हक हिस्सा तथा इसी हिस्से से काबिज काश्त है। वाद वर्णित आराजी में शेष खातेदारो 3/4 के हिस्से ना.सं. 1194 दिनांक 20.6.2019 से दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

हो चुके है अतः उनके हिस्से की घोषणा की आवश्यकता नहीं है।मजमें आम में की जानकारी के अनुसार एवं उपस्थित पक्षकारो की सहमति व प्रकरण संख्या 78/11 में हुए पूर्व निर्णय अनुसार मौजा आमल्दा खा.सं. 62 सं. 2071–74 आराजी नं. 140 रकबा 0.24 हैक्टर मे हिस्से की घोषणा किया जाना हम न्यायसंगत मानते हुए वाद वादी अ.धा. 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 व सह धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा के खाता सं. 62 सम्वत 2071–74 में अंकित आराजी नं. 140 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि में श्री झमकू बेवा किशना का हिस्सा 1/12, मनोहर का हिस्सा 1/60, रामचंद्र का हिस्सा 1/60 फोरी पिता वेणा का हिस्सा 1/60, धापू पत्नि स्व. वेणा का हिस्सा 1/60, गोपाललाल चन्दा ममता शारदा पिता श्यामलाल, शारदा ना.बा. स.प. भाई गोपाल लाल का हिस्सा बराबर 1/60, प्यारा पिता रूपा का हिस्सा 1/12 जाति बलाई साकिन देह काना पिता घीसा वगै. नामा.सं. 1194 अनुसार बदस्तुर रखते हुए राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

दावा संख्या : 63/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

वादी

बनाम

1. गोपाल लाल पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूं
2. श्रीमति झमकु पत्नि स्व. किशना बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. मनोहर पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
4. रामचन्द्र पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
5. धापू पत्नि स्व. वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
6. फोरी पिता वेणा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
7. चन्दा पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
8. ममता पिता श्यामलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
9. शारदा ना.बा. पिता श्यामलाल स.प. भाई गोपाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगू
10. प्यारा पिता रूपा बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
11. काना पिता धीसा जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
12. हेमा पिता गंगाराम जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
13. बदरीलाल पिता रता जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
14. मदनलाल पिता रता जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
15. धापूबाई पिता रता जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
16. कमलाबाई पिता रता जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
17. चन्दा बाई पिता रता जाट निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश चन्द्र सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा के खाता सं. 62 सम्वत 2071–74 में अंकित आराजी नं. 140 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि में श्री झमकू बेवा किशना का हिस्सा 1/12, मनोहर का हिस्सा 1/60, रामचंद्र का हिस्सा 1/60 फोरी पिता वेणा का हिस्सा 1/60, धापू पत्नि स्व. वेणा का हिस्सा 1/60, गोपाललाल चन्दा ममता शारदा पिता श्यामलाल, शारदा ना.बा. स.प. भाई गोपाल लाल का हिस्सा बराबर 1/60, प्यारा पिता रूपा का हिस्सा 1/12 जाति बलाई साकिन देह काना पिता धीसा वगै. नामा.सं. 1194 अनुसार बदस्तुर रखते हुए राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner